यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**,** प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोटाहल्दू, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**,** प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोटाहल्दू, नैनीताल के माह 04/2012 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं श्री रवि शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेंद्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 01.03.2019 से 06.03.2019 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**,** प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोटाहल्दू, नैनीताल के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सम्पूर्ण विकास खण्ड, मोटाहल्दू, नैनीताल हैं। विकास खण्ड के अंतर्गत चल रही समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं एवं योजनाओं का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है।

(ii) (अ) **विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(धनराशि रु0 लाख में**)**

वर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		बचत/ समर्पण	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2012-13	364.70	359.49	00	00	5.21	00
2013-14	512.15	499.40	00	00	12.75	00
2014-15	558.30	558.20	00	00	0.10	00
2015-16	600.68	600.68	00	00	00	00
2016-17	601.53	601.53	00	00	00	00
2017-18	500.10	500.10	00	00	00	00
2018-19 (02/2019)	816.81	660.89	00	00	---	---

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अंतिम अवशेष
2012-13	NHM	6.08	96.82	69.65	33.25
2013-14		33.25	107.36	122.26	18.35
2014-15		18.35	138.38	144.07	12.66
2015-16		12.66	177.66	179.25	11.07
2016-17		11.07	200.87	190.34	21.60
2017-18		21.60	154.92	166.07	10.45
2018-19 (09/2018)		10.45	253.93	171.07	---

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार (NHM) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'सी' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1). सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

2). महानिदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

3). निदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

4). मुख्य चिकित्सा अधिकारी

5). प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (संबन्धित चिकित्सालय)

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा, यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। जिसमे 04/2012 से 02/2019 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**,** प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोटाहल्दू, नैनीताल के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**,** प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोटाहल्दू, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09/2015, 06/2016, 09/2017, व 07/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया था। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:1-औषधियो की गुणवत्ता की जांच के बिना ₹ 4.84 लाख की औषधियाँ को वितरित करना।

शासनादेश स° 932/xxviii-4-2014-28(8)/2012, दिनांक, 13 जुलाई 2015 के बिन्दु स° 18 के अनुसार एक समय मे क्रय की गयी विभिन्न औषधियों मे से 20 प्रतिशत औषधियों के रैंडम sample लेकर उनका अधिकृत, ख्याति प्राप्त संस्थाओ से विश्लेषण कराया जाना चाहिए, ताकि औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। शासन द्वारा औषधियों के नमूनो की जांच हेतु अनुमोदित जांचकर्ता firms के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुरूप जांच कराई जाए। यह प्रक्रिया क्रय की गई औषधियों के 01-02 माह के भीतर सुनिश्चित कराये जाने का प्रावधान है। बिन्दु 11 के अनुसार प्रत्येक निविदा दात्री firm द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

इकाई की औषधि क्रय से संबन्धित अभिलेखो की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि लेखा परीक्षा अवधि मे क्रय की गयी निम्नलिखित कीमत की किसी भी औषधि का परीक्षण नहीं कराया गाया था

क्रम स°	**वित्तीय वर्ष**	**Medicine कीमत रू°**	**No. of Total Medicine Random Sampling**
1.	2015-16	2,29,082/-	N
2.	2016-17	1,31,579/-	N
3.	2017-18	1,23,694/-	N
	TOTAL	**4,84,355/-**	

उक्त अवधि मे क्रय की गयी औषधियों से संबन्धित अभिलेखों की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि किसी भी औषधि का परीक्षण नहीं कराया गया था। क्रय की गयी औषधियों के 20 प्रतिशत को रैंडम नमूने लेकर उनका अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थानो से विश्लेषण कराया जाना था, लेकिन इकाई द्वारा नियम के विपरीत औषधियों के परीक्षण नहीं कराये गए, जो कि शासनादेश मे वर्णित नियमो के विपरीत है।

इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा आंकड़ो की पुष्टि करते हुए बताया कि भविष्य मे सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार इकाई का उत्तर स्वत: लेखा परीक्षा आपत्ति कि पुष्टि करता है।

अत: प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>**भाग-दो(ब)**</u>

प्रस्तर-2- बिना विजिट प्रमाण पत्र के रु. 97200 का भुगतान किया जाना।

शासनादेश संख्या- सा.-4-229/10-2000-626/2000 दिनांक10.03.2000 पी.एच.एम.एस. एवं दत्त चिकित्सकों को उनके सामान्य कार्य के घण्टों के अतिरिक्त माह में कम से कम 25 विजिट पर ही वाहन भत्ता अनुमन्य होगा एवं उसके लिये विजिट रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा। माह के अन्त में विजिट रजिस्टर को उच्च अधिकारी को दिखा कर यह प्रमाण पत्र दे कि उन्होने माह में आवश्यक 25 विजिट पूरी कर ली है। प्रमाण पत्र पर वाहन भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे.अ.सा.नि.) मु.-7, सं.-700/XXXVII(7)30(5)/2013. दिनांक 16.09.2013 द्वारा वाहन भत्ते की अनुमन्य दर मोटर कार-2700 प्रति माह तथा मोटर साइकिल/ स्क्टूर-1200 प्रति माह उच्चीकृत किये गये।

इकाई की वाहन भत्ता कि जांच में पाया गया कि डॉक्टर एच.एस. धपोला एवं डॉक्टर एन.सी. तिवारी को निम्न प्रकार वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया।

<table>
<tr><th>डॉक्ट का नाम</th><th>वर्ष</th><th>अनुमन्य वाहन भत्ता प्रति माह (मोटर कार)</th><th>कुल माह</th><th>योग</th></tr>
<tr><td rowspan="3">डॉ. एच.एस. धपोला</td><td>2014-15</td><td>2700</td><td>01 (03/15)</td><td>2700</td></tr>
<tr><td>2015-16</td><td>2700</td><td>12</td><td>32400</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>2700</td><td>07 (04/16 से 10/16)</td><td>18900</td></tr>
<tr><td colspan="4">कुल योग</td><td>54000</td></tr>
<tr><th>डॉक्ट का नाम</th><th>वर्ष</th><th>अनुमन्य वाहन भत्ता प्रति माह (मोटर साइकिल)</th><th>कुल माह</th><th>योग</th></tr>
<tr><td rowspan="3">डॉ. एन.सी. तिवारी</td><td>2015-16</td><td>1200</td><td>12</td><td>14400</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>1200</td><td>12</td><td>14400</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>1200</td><td>12</td><td>14400</td></tr>
<tr><td colspan="4">कुल योग</td><td>43200</td></tr>
</table>

इस प्रकार डॉ. एन.एस. धपोला एवं डॉ. एन.सी. तिवारी को कुल रु. 97200 का भुगतान किया गया परन्तु इकाई स्तर पर विजिट रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। जिससे यह आंकलन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उपरोक्त चिकित्सा अधिकारियों द्वारा माह में 25 विजिट किये गये। बिना विजिट प्रमाण पत्र के रु. 97200 का भुगतान किया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा कि कार्यालय में भ्रमण पंजिकायें उपलब्ध नहीं है। इससे स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि हो जाती है। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोटाहल्दू के अन्तर्गत चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्रशानिक कर्मचारियों के 108 पद स्वीकृत थे, जिसके सापेक्ष 82 चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्रशासनिक कर्मचारियों की तैनाती थी तथा 26 पद रिक्त है।

इकाई मे चिकित्सकों एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्रशासनिक स्टाफ के 26 पद (24%) (सूची सल्ग्न) रिक्त रहने के कारण स्वास्थ सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाओं के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई होना स्वाभाविक है तथा इकाई से स्थानीय जनता को मिलने वाली प्राथमिक स्वास्थ सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इससे जनता को मिलने वाली प्राथमिक सेवाओ के उद्देश्य भी अपूर्ण है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर मे बताया गया कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार इकाई का उत्तर स्वत: लेखा परीक्षा आपत्ति कि पुष्टि करता है।

अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या (सा0क्षे0)	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग II अ	भाग II ब	STAN			
इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।						

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..................................Nil.....................................

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोटाहल्दू, नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य ।

2- **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य ।

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रमांक	नाम	पदनाम	अवधि
01	श्री राजेश डगरियाल	MOIC	04/2012 से 06.07.2013
02	श्री नवीन चन्द्र तिवारी	MOIC	06.07.2013 से 28.09.2018
03	श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय	MOIC	29.09.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोटाहल्दू, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपप्रधान महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, निकट-IHM, कौलागढ़, देहरादून 248195 को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.